प्राक्कथन

1. भारत के संविधान अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

2. राज्य सरकार के विभागों के द्वारा किये गये व्यय की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत किया गया है।

3. यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन के व्यय के लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

4. इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2012-13 के दौरान नमूना जाँच के समय ध्यान में आये, साथ ही वे भी जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आ गये थे परंतु जिन्हे पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; 2012-13 के बाद की अवधि से संबंधित प्रकरण भी, जहाँ भी आवश्यक हैं सम्मिलित किये गए हैं।

5. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का निष्पादन किया गया है।